

न्यायालय सिविल जज जू०डि० / जे०एम०, तिलहर शाहजहाँपुर।

दिनांक- 14.12.2024

आज यह चालान लोक अदालत में पेश हुआ। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया। तदोपरान्त अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अतः उक्त के अनुपालन में चालान/पत्रावली निस्तारित की जाती है।

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
तिलहर, शाहजहाँपुर।